



राजस्थान विश्वविद्यालय University of Rajasthan

Phone: +91-141-2711070; EPBX: 612

Email: drteachinguniraj@gmail.com

Date: 10-1-2023

No. Estt.-I//2023/ 2066

परिपत्र

सिण्डीकेट के विनिश्चय सं. 13 दिनांक 05.10.2017 एवं राज्य सरकार के पत्रांक: प.13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 31.12.2022 के क्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/अधिकारियों, जिनकी ग्रेड पे 4200 या अधिक है, को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा स्वयं के स्तर पर ऑन-लाईन पूर्ति करें।

वर्ष 2018 से टंकित/हस्तलिखित अचल संपत्ति विवरण स्वीकार योग्य नहीं है।

जो शिक्षक/अधिकारी अपना अचल संपत्ति विवरण की सूचना प्रस्तुत नहीं करेंगे, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 14.04.2011 के तहत प्रशासनिक स्तर पर उनको विजीलेंस क्लियरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावेगा।

नीलिमा तक्षक
9/1/23
(नीलिमा तक्षक)
कुलसचिव

क्रमांक: संस्था-1/विधि-11/2023/ 2067-2137

दिनांक 10-1-2023

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, राजभवन, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. मानद निदेशक, पी.जी. स्कूल्स/केन्द्रीय पुस्तकालय/प्रबन्धन/गाँधीयन स्टडीज/जैन स्टडीज, आदि, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. मुख्य आवासाधिकारी(पुरुष/महिला), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. मुख्य कुलानुशासक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, रा. वि. वि., जयपुर।
11. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. जनसंपर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

अरविन्द कुमार शर्मा
03/01/23
(अरविन्द कुमार शर्मा)
उप-कुलसचिव (संस्थापन-I)
02/01/2023

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011

जयपुर, दिनांक: 31-12-2022

परिपत्र:-

विषय:-समस्त राजसेवकों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन भरने के संबंध में।

समस्त राजसेवकों द्वारा प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान किया हुआ है। जिसके बिन्दु निम्न प्रकार है:-

1. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के समस्त राजसेवकों द्वारा 01 जनवरी 2023 की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण दिनांक 31 जनवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है एवं 31 जनवरी पश्चात् IPR MODULE को बन्द कर दिया जावेगा। उसके बाद अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरा जा सकता।
2. जो राजसेवक अपने अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना ऑन-लाईन नहीं भरेंगे, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)का./क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 के तहत प्रशासनिक विभाग द्वारा उसको विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जावेगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं व उपक्रमों पर भी लागू है।
3. समस्त राजसेवकों को SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन-लाईन IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित IT अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त राजसेवकों तथा बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं व उपक्रमों में कार्यरत राजसेवकों को अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन-लाईन समय सीमा में पूर्ति कराये जाने हेतु निर्देशित करें।


(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2022.12.31 12:39:46 IST
Reason: Approved



Immovable Property Return Flow



For technical assistance:
email: support.rajkaj@rajasthan.gov.in
Phone: 0141-29 21149/ 29 21149/ 29 25181